RNI Regd. No. 7756/59

स्वतंत्र सोच, निष्पक्ष अभिव्यक्ति

दण्डकारण्य समाचार

67 वां वर्ष

जगदलपुर व रायपुर से एक साथ प्रकाशित

■ जगदलपुर, गुरूवार 01 मई 2025 ■ वर्ष 67 ■ अंक 98 ■ पृष्ठ 12 ■ मूल्य 2.00 ■ संस्थापक - स्व. श्री तुषार कांति बोस

आज मजदूर दिवस

23 मई तक पाक विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र बंद

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (एजेंसी)। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए जारी किया है। इस नोटम के तहत भारत ने 30 अप्रैल से 23 मई 2025 तक अपने एयरस्पेस को सभी पाकिस्तान-रजिस्टर्ड और सैन्य विमानों के लिए बंद करने की घोषणा की है। इस दौरान किसी भी पाकिस्तानी विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन

नई दिल्ली,30 अप्रैल (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। पूर्व पश्चिमी वायु सेना कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारियों को इस बोर्ड में शामिल किया गया है। राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त दो सदस्य है।

बर्खास्त बीएड अहर्ताधारी 261 शिक्षकों को किया जाएगा समायोजित

रायपुर, 30 अप्रैल (एजेंसी)। राज्य में 2621 बीएड अहर्ताधारी बर्खास्त शिक्षिकों को भी न्याय देने की अनुशंसा की गई है। इसके अंतर्गत सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 4222 रिक्त पद पर समायोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय का शिक्षकों एवं अन्य संगठनों ने स्वागत किया है। नगरीय निकाय मंत्री परिषद की बैठक के पश्चात प्रमुख निर्णयों की जानकारी देते हुए नगरीय निकाय की बैठक में अरूण साव ने बताया कि पिछले कई दिनों से बीएड अहर्ताधारी शिक्षिकों को हटा दिया गया था जिसके कारण वे बेरोजगार हो गए थे।

मोदी सरकार का बड़ा ऐलान

पूरे देश में होगी जाति जनगणना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनावों के पहले सरकार ने राजनीतिक महत्व का एक बड़ा कदम उठाते हुए देश में आम जनगणना में जातियों की गणना कराने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। रेल, सूचना प्रसारण, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। वैष्णव ने कहा, कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी के बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की गणना नहीं की गयी। वर्ष 2010 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर केबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमण्डल समूह का भी गठन किया गया था जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाए, एक सर्वे कराना ही उचित समझा जिसे एसईसीसी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर बोलते हुए, वैष्णव ने कहा,'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22,864 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शिलांग से सिलचर तक एक हाई-स्पीड कॉरिडोर राजमार्ग को मंजूरी दी है.' इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति से कटपडी तक 104 किमी की सिंगल रेलवे लाइन को डबल लाइन में बदला जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह बेंचमार्क मूल्य है. इसके नीचे खरीदारी नहीं की जा सकती है। इस फैसले से गन्ना किसानों को 1 लाख 11 हजार 701 करोड़ रुपये मिलेंगे। गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति ने 2025-26 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 10.25त्न की मूल रिकवरी दर के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) स्वीकृत किया है। इसमें 10.25त्न से अधिक प्रत्येक 0.1त्न की रिकवरी वृद्धि के लिए 3.46 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम प्रदान किया जाएगा। साथ ही रिकवरी में प्रत्येक 0.1फछिगत की कमी के लिए एफआरपी में 3.46 रुपये प्रति क्विंटल की कमी की जाएगी।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

सुदूर ग्रामीण एवं अनुसूचित क्षेत्रों में शुरू होगी सीएम ग्रामीण बस सेवा

राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए दी जाएगी 10 एकड़ जमीन

रायपुर, 30 अप्रैल (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना' शुरू करने का अहम निर्णय लिया है। इस योजना के तहत हल्के/मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता (चालक को छो?कर) के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवीन ग्रामीण मार्गों के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसग? राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछ?ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गों पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से तीन साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रुपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रुपए प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष 22 रुपए प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित लोगों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी, वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को ब?ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसके तहत नवा रायपुर अटल नगर में स्टेट ऑफ आर्ट नीलिट की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट को 10.023 एक? भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

राज्य में नीलिट केन्द्र की स्थापना से छत्तीसग? में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह केन्द्र न केवल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा। इससे छत्तीसग? राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा।

मंत्रिमंडल ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों के हित में ब?ा निर्णय लिया है। छत्तीसग? सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ अब उक्त श्रेणी के किसानों को भी मिलेगा। मंत्रिमंडल ने बैठक में 'कृषक उन्नति योजना' के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसग? राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान/धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनको अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय लॉ मूट कोर्ट प्रतियोगिता ऑक्सफोर्ड में जज बनी छत्तीसगढ़ की सुगंधा जैन

रायपुर, 30 अप्रैल (दण्डकारण्य समाचार)। बोनवेरो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स की ओर से 21 अप्रैल से 25 अप्रैल 2025 के बीच ऑक्सफोर्ड में आयोजित हुए 18वें वार्षिक मोनरो ई. प्राइस मीडिया लॉ मूट कोर्ट प्रतियोगिता के अंतर्राष्ट्रीय राउंड में छत्तीसगढ़ की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील सुगंधा जैन संपूर्ण भारत से बतौर जज अकेले शामिल हुई। यह पहला अवसर था जब विधि से जुड़ा छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति अंतराष्ट्रीय लॉ से संबद्ध आयोजन में जज बनी है।

इस प्रतिष्ठित आयोजन में दुनिया भर के लगभग 150 देशों के लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र शामिल हुए थे। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय लॉ से संबंधित बारीकियों विशेष तौर पर मानवाधिकार पर भी जज के रूप में सुगंधा ने दुनियाभर के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।

रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली 30 वर्षीय सुगंधा जैन पिछले 8 सालों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही है। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के शासकीय संस्थानों से संबद्ध है। वह महिला उत्थान एवं कानूनी जागरूकता को लेकर जन जागरण अभियान में भी अपना योगदान देती रही है। आज लॉ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मंच में पहुंचकर भारत का मान बढ़ाने वाली सुगंधा की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें छत्तीसगढ़ का गौरव बताते हुए बधाई एवं उज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। उन्हें नौजवान पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया है।

नई मुसीबत में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, 2000 करोड़ के घोटाले में एसीबी ने दर्ज की एफआईआर

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (एजेंसी)। कथित शराब नीति घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जमानत पर चल रहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आम आदमी पार्टी के इन दोनों वरिष्ठ नेताओं पर अब सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम के निर्माण से जुड़े कथित घोटाले को लेकर नया केस दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने इस मामले में 2000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है और तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। एसीबी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान कुल 12,748 कक्षाओं और भवनों के निर्माण में लगभग 2,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। एसीबी का आरोप है कि 75 साल तक चलने वाली आरसीसी कक्षाओं के निर्माण के समान लागत पर केवल 30 साल की अनुमानित उम्र वाली अर्ध-स्थायी संरचना वाली कक्षाओं का निर्माण किया गया। एसीबी का दावा है कि निर्माण अपनाने से स्पष्ट रूप से कोई वित्तीय लाभ नहीं हुआ, बल्कि लागत अनावश्यक रूप से बढ़ाई गई।

मध्यस्थता फैसलों को संशोधित कर सकती हैं अदालतः सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अदालत मध्यस्थता फैसलों को संशोधित कर सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4ा1 के बहुमत से यह फैसला दिया।

न्यायालय का 190-पृष्ठ का निर्णय 20 फरवरी, 2024 को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संदर्भित किए जाने पर आया। मुख्य न्यायाधीश खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 और 37 के तहत न्यायालय के पास मध्यस्थता फैसलों को संशोधित करने की सीमित शक्ति है। शीर्ष अदालत का यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखा गया। न्यायमूर्ति गवई, न्यायमूर्ति कुमार और न्यायमूर्ति मसीह ने उनके निर्णय का समर्थन किया, जबकि न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन ने असहमति वाला फैसला सुनाया। बहुमत के फैसले में पीठ यह भी कहा कि न्यायालय कुछ परिस्थितियों में मध्यस्थता के फैसलों के बाद के हित को संशोधित कर सकता है और बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

न्यायालय ने बहुमत के फैसले में कहा कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब मध्यस्थता फैसल अलग करने योग्य हो, 'अमान्य' हिस्से को 'वैध' हिस्से से अलग करके, और किसी भी लिपिकीय, गणना संबंधी या टाइपोग्राफिकल त्रुटियों को ठीक करके जो रिकॉर्ड के सामने गलत दिखाई देती हैं।

आज का इतिहास

1492 स्पेन की रानी इसाबेला ने क्रिस्टोबल कोलंबो को भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने की अनुमति दी।

1657 शिवाजी महाराज ने मुगलों के कब्जे वाले शहर जुन्नार पर आक्रमण किया और लूटपाट की।

1789 जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए।

1936 महात्मा गांधी ने वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की।

1945 द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद हिटलर की कथित आत्महत्या अपरिहार्य है।

बहुत खूब

हवाई जहाज से कॉलेज पढ़ने जाती है ये लड़की, रोज का खर्च है 20 हजार रुपये, कहानी कर देगी हैरान

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (एजेंसी)। आमतौर पर आपने छात्रों को बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन या फिर खुद की गाड़ी से कॉलेज आना-जाना करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई हवाई जहाज से कॉलेज जाता हो? दरअसल, जापान की 22 सा की एक लड़की Yuzuki Nakashima कुछ इसी वजह से इंटरनेट पर इन दिनों खूब चर्चा में हैं। युजुकी रोज फ्लाइट लेकर कॉलेज जाती हैं, जिसके लिए वह हर दिन लगभग 20 हजार रुपये खर्च कर रही हैं। जाहिर है, पढ़कर आप चौंक गए होंगे। आइए जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करती है। युजुकी जापान की जिस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, वह फुकुओका में है, जो उनके टोक्यो स्थित घर से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है। लेकिन इसके बावजूद वह अपना एक भी क्लास मिस नहीं करतीं, और हर दिन चार घंटे की उड़ान भरकर कॉलेज अप-डाउन करती हैं। जाहिर है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि युजुकी फुकुओका में भी रहकर पढ़ाई पूरी कर सकती हैं, फिर बेवजह इतनी परेशानी क्यों मोल ले रही हैं। दरअसल, युजुकी पेशे से एक पॉप सिंगर हैं, और लोकप्रिय जापानी गर्ल ग्रुप 'सकुराजाका 46' का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने करियर के कारण वह टोक्यो में रहती हैं। इसके साथ ही एक कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, और वह नहीं चाहतीं कि उनका करियर उनकी शिक्षा के आड़े आए। हाल ही उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग में खुलासा किया कि उन्होंने पढ़ाई और सिंगिंग करियर के बीच संतुलन बनाने का एक तरीका खोज लिया है. उन्होंने बताया कि वह रोज टोक्यो से फुकुओका के बीच चार घंटे का हवाई सफर करती हैं, ताकि कॉलेज की क्लास अटेंड कर सकें। युजुकी ने बताया कि उनके दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे होती है। फिर सुबह 6 बजे फुकुओका की पहली फ्लाइट लेने के लिए वह टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पहुंचती हैं. इसके बाद सुबह 9.30 बजे फुकुओका के किताकियुशू हवाई अड्डे पर पहुंचते ही कैंपस के लिए बस लेती हैं।

उन्होंने बताया कि उनका अधिकांश समय हवाई सफर में बीतता है, इसलिए वह इसी दौरान अपना होमवर्क भी पूरा करती हैं।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पाकिस्तान को धमकी, टारगेट पर ये आतंकी

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले का बदला लेने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गैंग ने पाकिस्तान में घुसकर 'एक लाख के बराबर' व्यक्ति को मारने की बात कही है।

वायरल पोस्ट में कहा गया है, पहलगाम हमले में बेगुनाह लोगों की हत्या का जवाब देने के लिए हम पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसे आदमी को मारेंगे, जो एक लाख के बराबर होगा। इस पोस्ट के साथ आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद की तस्वीर भी लगाई गई है, जिस पर क्रॉस (काट-मार्क) का निशान बना हुआ है। यह सीधे तौर पर हाफिज सईद को निशाना बनाने की धमकी मानी जा रही है। भारत में कई बड़ी आपराधिक वारदातों में जिसका नाम सामने आता रहा है, उस लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा कथित तौर पर साझा किया गया यह पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है। हालांकि, इस वायरल पोस्ट की सच्चाई और इसे वास्तव में गैंग ने ही पोस्ट किया है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति बीआर गवई

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (एजेंसी)ष न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को मंगलवार को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति गवई 14 मई को सीजेआई का पदभार संभालेंगे।

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज ट्विट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा,÷भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को 14 मई, 2025 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।÷

मौजूदा सीजेआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का 13 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। न्यायमूर्ति गवई उनकी जगह लेंगे। न्यायमूर्ति गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। कानून मंत्रालय ने न्यायमूर्ति गवई की भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका नाम 16 अप्रैल को सीजेआई खन्ना द्वारा केंद्र सरकार को सिफारिश के रूप में भेजा गया था। न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल छह महीने का होगा और वह 23 दिसंबर को 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

न्यायमूर्ति गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। न्यायमूर्ति बालाकृष्णन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे।

लॉग ऑन करें : दण्डकारण्य समाचार इंटरनेट संस्करण http://www.dandakaranyasamachar.com Go